जनता काँग्रेस छत्तीसगढ़ (J)
भ्रष्टाचार रोकथाम प्रकोष्ठ

ग्राम. बसंतपुर, पो. नवागांव, व्हाया - पेण्ड्रा, जिला - गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, मो नं. 91652 19288

भ्रष्टाचार रोकथाम प्रकोष्ठ सदस्य : श्री.जी.एस.धनंजयसिंह पैकरा, डॉ. ओमप्रकाश देवांगन, श्री आनंद सिंह, श्री महेन्द्र चन्द्राकर, श्री सुखसागर सिंह

दिनांक : ....

प्रति,

1. श्रीमान परमश्रद्धेय माननीय मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
2. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , मंत्रालय , महानदी भवन ,नवा रायपुर
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह(पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
5. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय रायपुर
6. प्रमुख सचिव, विधि विभाग, मंत्रालय , महानदी भवन ,नवा रायपुर
7. संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, रायपुर

विषय :–श्री मिथलेश कुमार वर्मा तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी महासमुंद को कदाचरण तथा अधिकार क्षेत्र से परे जाकर न्यायालयीन कार्यवाही में हस्तक्षेप करने तथा गुनाहगारों को बचाने के कारण अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत् ।

माननीय महोदय ,

आवेदक जनता कांग्रेस(जे) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम प्रकोष्ठ का सक्रिय कार्यकर्ता है। आवेदक द्वारा समय–समय पर शासन, प्रशासन एवं आमजनों के हित में भ्रष्टाचार निवारण के लिए भ्रष्टाचार को उजागर कर भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध आवाज बुलंद किया जाता रहा है। आवेदक लोकहित तथा न्यायहित में निम्नानुसार तथ्य प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि श्री मिथलेश कुमार वर्मा वर्तमान पदस्थापना उप संचालक अभियोजन, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निधि शर्मा तिवारी के अदालत, को

DIRECTOR GENERAL OF POLICE RAIPUR (CHHATTISGARH) सत्यमेव जयते 22/08/2024

विधि और विधायी कार्य विभाग आवक शाखा दिनांक 23-8-24

CHIEF SECRETARY OFFICE Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar 23/08/24

तत्काल प्रभाव से रायपुर संभाग से अन्यत्र पदस्थ किया जावे। उपरोक्त अधिकारी के कदाचरण के संबंध में तथ्य निम्नानुसार हैः—

1. यह है कि, श्री मिथिलेश कुमार वर्मा द्वारा लम्बे अंतराल से विशेष न्यायालय, एसीबी, रायपुर में पदस्थ रहकर अपराधियों के साथ सांठ—गांठ बना ली है। उक्त न्यायालय में वर्तमान में अत्याधिक संवेदनशील मामले विचाराधीन है। उदाहरण स्वरूप छत्तीस हजार करोड़ का नान घोटाला, हजारो करोड़ों का महादेव एप घोटाला, हजारो करोड़ का शराब घोटाला, हजारो करोड़ कोल लेवी स्कैम घोटाला आदि। उक्त न्यायालय में सर्वविदित है कि नान घोटाले के मास्टर मांईड आरोपी श्री अनिल टूटेजा को बचाने के लिए इस अधिकारी द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यों को एक्जीविट नहीं करवाया गया। आरोपी अनिल टूटेजा के हितों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा हर प्रयास किया गया है। इसी प्रकार जेल में बंद अन्य घोटालों के आरोपी चन्द्रभूषण वर्मा, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी आदि को भी बचाने का हर संभव प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा है जिसके एवज में इसके द्वारा आरोपियों से मोटी रकम प्रत्येक पेशी में ली जाती है। उक्त अधिकारी आदतन डिफाल्टर है एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अत्याधिक विश्वासपात्र है। इसके खिलाफ 02 विभागीय जांच पूर्व से भी प्रचलित है। शासन स्तर पर पैसे देकर इसके द्वारा उक्त विभागीय जांचों को नस्तीबद्ध करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके द्वारा पूर्व की पदस्थापना में कारित कदाचरण के कुछ दृष्टांत प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
2. आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि श्री मिथलेश कुमार वर्मा वर्तमान में उप संचालक अभियोजन के पद पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निधि शर्मा तिवारी के अदालत में पदस्थ हैं। उनके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि हेतु बार बार अनेको संवेदनशील न्यायालयीन कार्यवाही को प्रभावित कर गुनाहगारों को बचाने का प्रयास किया जाता है । उल्लेखनीय है कि उक्त न्यायालय में विचाराधीन मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को खास दिलचस्पी

रहती है। श्री मिथलेश कुमार वर्मा न्यायालय के प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग भी भूपेश बघेल को देता है।

3. इस तरह की कार्यवाही करने की प्रवृत्ति श्री मिथलेश कुमार वर्मा में पूर्व से मौजूद है। इसका दस्तावेजी साक्ष्य यह है कि श्री मिथलेश कुमार वर्मा द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी महासमुंद के कार्यकाल में थाना सराईपाली के अपराध कमांक 194/2011 में सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित कराये बिना अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । इसी प्रकार इसके द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरायपाली से मिली भगत कर अपराध क्रमांक 162/2014 में प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण कराये बिना तथा जप्तशुदा मूल दस्तावेज एवं हस्तलिपि विशेषज्ञ का रिपोर्ट पेश कराये बिना अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। इसके फलस्वरूप गुनाहगारों को लाभ दिलवाकर पीड़ितों को न्याय से वंचित कराया गया । उक्त संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन **परिशिष्ट–1** कृपया संलग्न है। उक्त जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त अधिकारी द्वारा जानबूझकर कदाचरण करते हुए आरोपियों को बचाने तथा न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने की मानसिकता रखते हुए कार्य किया जाता है।

4. इसी प्रकार श्री मिथलेश कुमार वर्मा के कदाचरण की एक झलक महासमुन्द के अपराध क्रमांक 396/14 में मिलती है जिससे इनका कदाचरण की प्रवृत्ति की दस्तावेजी पुष्टि होती है। उक्त अपराध में विशेषज्ञ साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए 302 भादवि जैसे जघन्य अपराध को छिपाया जाकर अभियोग पत्र धारा 306, 384, 323, 147 भादवि के अंतर्गत अग्रेषित किया गया। उक्त आरोप के अलावा अन्य अनेकों आरोप इनके विरूद्ध विचाराधीन है। उक्त कदाचरण से संबंधित आरोप पत्र **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है जिससे इनके कदाचरण की प्रवृत्ति की दस्तावेजी पुष्टि होती है।

5. हाल में पीएससी में हुई डीपीसी में पीएससी के अध्यक्ष से सेटिंग कर अपने पक्ष में पदोन्नति का पद आरक्षित करवाया लिया एवं विभागीय जॉच लंबित दिखाकर अपने नाम का बंद लिफाफा करवाया गया। उक्त डीपीसी में पदक्रम सूची में उप संचालक अभियोजन श्री श्याम लाल पटेल का क्रम श्री मिथलेश कुमार वर्मा से

वरिष्ठ होने के बावजूद एवं इसका स्वयं का रिकार्ड दागी होने के बावजूद इसके द्वारा गलत तरीके से अपने नाम पर पदोन्नति की मुहर लगवाई गई। वर्तमान पीएससी अध्यक्ष को इसके द्वारा लंबा चौड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। अभियोजन अधिकारियों की पद क्रम सूची परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

6. यह कि श्री मिथलेश कुमार वर्मा वर्तमान में ऐसे स्थान पर पदस्थ हैं जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य गठन के उपरांत से लेकर अब तक के सर्वाधिक बड़े घोटाले जैसे – नान घोटाला, कोल घोटाला, आबकारी घोटाला, डी.एम.एफ. घोटाला जैसे प्रकरण आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे हैं । आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निरंतर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है तथा न्यायालय में आरोपियों को प्रस्तुत किया जाता है । श्री मिथलेश कुमार वर्मा संवेदनशील मामलों के समस्त आरोपियों के संपर्क में रहते हैं। उनसे अपने स्वार्थहितों की पूर्ति करते हुए प्रकरण को प्रभावित करने प्रयास करते हैं । इन्हें जेल में बंद तथा जेल से बाहर आरोपियों के द्वारा नियमित मासिक रकम पहुँचाई जाती है । इन अधिकारियों जिनके नाम समाचार पत्र में प्रकाशित हुए हैं जैसे श्रीमती सौम्या चौरसिया, श्रीमती रानू साहू, श्री समीर बिश्नोई , श्री अनिल टूटेजा आदि द्वारा नियमित रूप से श्री मिथलेश वर्मा से संपर्क कर अपने आदमियों के माध्यम से इन तक मासिक रकम पहुँचाई जा रही हैं ।

7. **अतः करबद्ध प्रार्थना है कि न्याय के मंदिर में पदस्थ ऐसे अभियोजन अधिकारी को जिनका कार्य शासन की ओर से न्यायालय में लड़ाई लड़ना है और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उन्हें तत्काल प्रभाव से अन्यत्र पदस्थ करते हुए अथवा निलंबित करते हुए इनके द्वारा वर्तमान अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही कार्यवाहियों की कानूनी विशेषज्ञ द्वारा जाँच कराई जाये ।**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

सविनय,

अनुलग्नक-1

संचालनालय लोक अभियोजन छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष कार्यालय, तृतीय खण्ड, चतुर्थ तल
इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक/लो.अभि.संचा./वि0 जांच/एफ–45/ 24 /2023 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 23/01/23

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छ0ग0 शासन,
गृह विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

विषय :– श्री मिथलेश कुमार वर्मा, उप संचालक अभियोजन ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने बाबत्।

—00—

श्री मिथलेश कुमार वर्मा, तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी, वर्तमान मे उप संचालक अभियोजन ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. रायपुर (छ0ग0) के कार्यालय उप संचालक (अभियोजन) जिला महासमुन्द में पदस्थ रहते हुए दिनांक 26.07.2014 को थाना सरायपाली के अपराध कमांक 194/2011 में विधिक त्रुटियां विवेचक द्वारा हस्तलिपि विशेषज्ञ को भेजे जाने वाली नमूना हस्ताक्षर एवं लिखावट की जप्ती नहीं करने तथा फर्जी लिखावट एवं हस्ताक्षर को निर्धारित करने वाले साक्ष्य को एकत्र न कर अभियोग पत्र को श्री वर्मा के द्वारा अपना हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित कर अग्रेषित किया गया है। विधिक समीक्षा (स्कूटनी) पंजी, स्कूटनी पुर्ति प्रतिवेदन, अभियोग पत्र पुंजी संधारित नहीं किया गया है। श्री वर्मा उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 (1)(एक)(दो) एवं 3(2)(दो) एवं 3 क(ग) के तहत् कदाचरण की श्रेणी में आता है।

प्रारंभिक जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष तथ्य व साक्ष्य के अनुरूप होने से श्री मिथलेश कुमार वर्मा, के विरूद्ध विभागीय जांच अनुशंसा की जाती है। श्री वर्मा प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का क्षेत्राधिकार छ.ग. शासन, गृह विभाग को होने से विभागीय जांच संस्थित करने हेतु आरोप पत्र, सूची अभिलेख एवं सूची गवाह का प्रारूप (मय सुसंगत दस्तावेज) तैयार कर अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :–

01. आरोप–पत्र,
02. सूची अभिलेख,
03. अभिकथन पत्रक,
04. सूची गवाह एवं सुसंगत दस्तावेज,
कुल .....214..... पृष्ठ।

संचालक 23/1
लोक अभियोजन संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर,

क्रमांक – एफ 15–20/दो–गृह/लो.अ./2022 परिशिष्ट-2

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

श्री मिथलेश कुमार वर्मा, तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी, वर्तमान में उप संचालक अभियोजन, ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. रायपुर (छ.ग.) के विरूद्ध लगाए आरोप का विवरण

आरोप – पत्र

आरोप क्र0–1 – आपके द्वारा जिला महासमुन्द में तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थी के दौरान थाना महासमुन्द के अपराध क्रमांक 396/2014 अभियोग पत्र की धारा 306, 384, 323, 147 भा.द.वि. के अन्तर्गत अग्रेषित किया गया है। जबकि घटनाक्रम में आयी विशेषज्ञ साक्ष्य से अपराध में 302 भादवि आकर्षित होती थी ऐसे विशेषज्ञ साक्ष्य को अभियोग पत्र की समीक्षा किये बिना अग्रेषित कर आपके द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजर अंदाज कर गलती की गयी है।

आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3(1)(दो) एवं 3(2)(दो) के तहत् कदाचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्र0–2 –संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.04.2009 के कंडिका अ एवं ब में स्पष्ट निर्देश है कि विधिक समीक्षा उप संचालक के द्वारा की जावेगी, जिन जिलों में उप संचालक पदस्थ नहीं है वहां यह कार्य जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया जावेगा। निम्न न्यायालयों के प्रकरणों में विधिक समीक्षा न्यायालय में पैरवी करने वाले जिला अभियोजन अधिकारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की जावेगी। इस संबंध में कोई भी अधिकारी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.12.2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 1485/2008 गुजरात विरूद्ध किशन लाल एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2014 को पारित निर्णय में न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक प्रकरणों की समीक्षा अभियोजन अधिकारी द्वारा किया जाना है तथा प्रत्येक दोषमुक्ति की समीक्षा किये जाने संबंधी निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु सत्र प्रकरणों एवं निम्न न्यायालयों में पेश होने वाले अभियोग पत्रों की विधिक समीक्षा के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये गये है जो कि परिपत्र के कंडिका 01 से 07 में स्पष्ट उल्लेख है जिसकी अवहेलना आपके द्वारा की गई है।

आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3(1)(दो) एवं 3(2)(दो) के तहत् कदाचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्र0–3–आपके द्वारा कार्यालय उप संचालक में विधिक समीक्षा/स्कुटनी पूर्ति रिपोर्ट, स्कुटनी रजिस्टर, चालान मूव्हमेंट रजिस्टर आदि का संधारित न कर कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा किया गया है।

आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3(1)(दो) के कदाचरण की श्रेणी में आता है।

(डॉ. विवेक श्रीवास) 1/3/24
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, गृह विभाग

pro. sthapna letter-- 5072 -

परिशिष्ट-3

उप संचालक (अभियोजन) की अनंतिम वरिष्ठता सूची
(दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में)

क्र.	अधिकारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका	जाति	जन्मतिथि	गृह जिला	शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पद पर स्थायीकरण दिनांक	वर्तमान पदस्थापना एवं कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री माखन लाल पांडे	एल.ए. / एलएल.बी.	पदोन्नति	सामान्य	15.03.1964	बिलासपुर	16.02.1995	03.12.2014	स्थानापन्न	जांजगीर–चांपा 03.12.2014	
2	श्री गंगा राम कोशले	एम.ए. / एलएल.बी.	पदोन्नति	अ.जा.	04.07.1961	बिलासपुर	20.02.1995	06.02.2015	स्थानापन्न	कांकेर 06.02.2015	
3	श्रीमती मुकुला शर्मा	एम.एस.सी. / एलएल.बी.	पदोन्नति	सामान्य	13.01.1965	रायपुर	28.03.1995	29.12.2017	स्थानापन्न	सचालनालय 26.04.2018	
4	श्रीमती पूर्णिमा तिवारी	बी.काम / एलएल.बी.	पदोन्नति	सामान्य	07.08.1963	दुर्ग	10.04.1995	29.12.2017	स्थानापन्न	दुर्ग 29.12.2017	
5	श्री आशीष कुमार झा	एलएल.बी.	पदोन्नति	सामान्य	27.04.1966	राजनांदगांव	01.07.1996	29.12.2017	स्थानापन्न	बिलासपुर 26.08.2019	
6	श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी	एलएल.बी.	पदोन्नति	अ.पि.व.	05.01.1964	राजनांदगांव	01.07.1996	29.12.2017	स्थानापन्न	एसीबी रायपुर से 29.12.2017 प्रतिनियुक्ति पर	
7	श्री श्याम लाल पटेल	बी.ए. / एलएल.बी.	पदोन्नति	अ.पि.व.	08.10.1968	रायपुर	01.07.1996	29.12.2017	स्थानापन्न	बिलासपुर 26.08.2019	
8	श्री निश्चल कुमार वर्मा	बी.काम. / एलएल.बी.	पदोन्नति	अ.पि.व.	13.09.1966	रायपुर	24.10.1997	29.12.2017	स्थानापन्न	एसीबी रायपुर से 29.12.2017 प्रतिनियुक्ति पर	
9	श्री दिनेश कुमार गिरी	एम.एस.सी. / एलएल.बी.	पदोन्नति	अ.पि.व.	11.03.1966	रायगढ़	04.11.1997	29.12.2017	स्थानापन्न	कोरिया 24.05.2018	
10	श्री सुमन कुमार एक्का	एम.ए. / एलएल.बी.	पदोन्नति	अ.ज.जा.	21.10.1966	रायगढ़	27.10.1997	29.12.2017	स्थानापन्न	एसीबी रायपुर से 29.12.2017 प्रतिनियुक्ति पर	

Scanned with CamScanner